


कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।


संख्या 264 / जि0आ0अ0 / अवैध शराब / अपील / फर्रुखाबाद / दिनांक मई 31, 2019
अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है तथा मिथाइल एल्कोहल भी हो सकता है, जो कि एक विष है तथा इसके अल्प मात्र सेवन से आंखों की रोशनी जाने के साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।"

यदि किसी को अवैध शराब के निर्माण/तस्करी/बिक्री/भण्डारण करने वालों की सूचना प्राप्त होती है तो निम्न हेल्प लाइन नम्बर पर तत्काल सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वालों के नाम एवं पहचान गुप्त रखे जायेंगे।


आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 फर्रुखाबाद	-	9454466321,
आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 फर्रुखाबाद	-	9454466322,
आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 फर्रुखाबाद	-	9454466323,
जिला आबकारी अधिकारी, फर्रुखाबाद	-	9454465674


(टी0 आर0 वैश्य)
जिला आबकारी अधिकारी,
फर्रुखाबाद। 31-5-19


(मोनिका रानी)
जिलाधिकारी,
फर्रुखाबाद

प्रतिलिपि:-

1. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अपील अपने दैनिक सामाचार पत्रों में कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित की उक्त अपील को जनपद की वेब साइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।


(टी0 आर0 वैश्य)
जिला आबकारी अधिकारी,
फर्रुखाबाद। 31-5-19